


कार्यालय आदेश

MSO Admn.(Vol-I) के प्रस्तर 7.5 में निहित प्रावधानों के अनुसार खंडीय लेखाकार के संवर्ग में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रहेगा। निम्नलिखित खंडीय लेखाकारों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो चुकी है। खंडीय लेखाकार श्रेणी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाने के कारण उपर्युक्त वर्णित प्रस्तर के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि तक परिवीक्षा अवधि विस्तारित की जाती है:-

क्र० सं०	नाम	व्य०सं०	विस्तारित परिवीक्षा अवधि की तिथि
1.	अनुराग पाठक	1671	25.05.2022
2.	विकल कुमार	1672	30.05.2022



वरिष्ठ उपमहालेखाकार/डीएसीसी

संख्या:ए०ई०-2/03/नि०वि०-I/परिवीक्षा अवधि/1478-1480

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. सचिव, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/डीएसीसी (प्रकोष्ठ), कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।


वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि०वि०-1